करल ४

99 [illegible] | 92 | 3C

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
करनिर्धारण व संकलन खाते
मालमत्ता करदेयक

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 200 अन्वये [illegible] करांचे देयक.

| लेखा क्रमांक | मालमत्ता कालावधी | देयक क्रमांक | देयक दिनांक |
|---|---|---|---|
| SX0601951740015 | 2022-2023 | 20221OBIL16724802<br>20222OBIL16724803 | 01/10/2022 |

धारकाचे नाव व पत्ता : Occupier. Shop No.15 SKYLINE SPARKLE CHS

Shop No.15 SKYLINE SPARKLE C T S NO.393 Village Road Bhandup (W) Mumbai 400078 Maharashtra

प्रेषक :
Asstt. Assessor & Collector, S Ward, Amenity Building 1st Floor Lodha Complex, Station Road, Kanjurmarg (East), Mumbai - 400042

ईमेल - saaa.ac@mcgm.gov.in

मालमत्ता क्रमांक, [illegible]
A & B WING, SKYLINE SPARKLE, VILLAGE ROAD, BHANDUP (W), Mumbai, 400078, VILLAGE BHANDUP, SKYLINE SPARKLE A & B WING

THE SUB REGISTRAR [illegible] MUMBAI SUBURBAN DIST. (BANDRA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रथम करनिर्धारण दिनांक: | 12/01/2017 | [illegible] क्रमांक: | |

एकूण भांडवली मूल्य (अक्षरी ): ₹ Thirty Two Lakh Thirty Eight Thousand Two Hundred Sixty Only

दि.31/03/2010 पर्यंत थकबाकीची रक्कम ₹ 0 | दि. 01/04/2010 ते 31/03/2022 या कालावधीची थकबाकी ₹ 0

देयक कालावधी: 01/04/2022 ते 31/03/2023

| करांचे नाव | 01/04/2022 ते 30/09/2022 | 01/10/2022 ते 31/03/20[illegible] |
|---|---|---|
| सामान्य कर | 4372 | |
| जल कर | 0 | |
| जल लाभ कर | 2753 | |
| मलनिःसारण कर | 6477 | |
| मलनिःसारण लाभ कर | 1698 | |
| म.न.पा. शिक्षण उपकर | 1619 | |
| राज्य शिक्षण उपकर | 1296 | |
| रोजगार हमी उपकर | 324 | |
| वृक्ष उपकर | 81 | |
| पथ कर | 2105 | |
| एकूण देयक रक्कम | 20725 | |
| कलम152 अ नुसार दंडाची रक्कम | 0 | |
| परताव्यावरील व्याजाची वसुली | 0 | |
| अधिक अधिदानाचे समायोजन | 0 | |
| भरावयाची निव्वळ रक्कम | 20725 | |
| अधिदानाची निव्वळ रक्कम | 0 | |
| अक्षरी रुपये | ₹ Twenty Thousand Seven Hundred Twenty Five Only | ₹ Twenty Thousand Seven Hundred Twenty [illegible] Only |
| अंतिम देय दिनांक | 31/12/2022 | 31/[illegible] |

*To make payment through NEFT:
IFSC - SBIN0008300, Beneficiary A/C No:- MCGMPTSX0601951740015 , Name-BMC Property Tax. Please note, payment done through NEFT will be collected against oldest bills first. Cheque may be drawn in the name of BMC / बृहन्मुंबई महानगरपालिका

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मधील कलम 152अ अन्वये, अवैध बांधकामांवर मालमत्ता कर व शास्ती आकारणे व ती वसूल करणे, यांचा, अशा अवैध बांधकाम किंवा पुनर्बांधकाम, हे अधिकृत आहेत किंवा त्यासाठी कार्यवाहीशी निगडित असे आहे असा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.

महाराष्ट्र अन्न सुरक्षितता व औषध संरक्षक उपायांच्या अधिनियम 2006 मधील तरतुदीनुसार, इमारतींचे मालक / भोगवटादार यांनी अधिनियमित व अधिकृत संस्था कुणाकडील अशासनाचे 'फक-4' अधिनियम दमात प्रतिवर्षी आवेदनी व पुर्ती करावे सादर करावे.

महेश पाटील
करनिर्धारक व संकलक

करांचे मालमत्ता कर देयक हे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 च्या कलम 154 (1 क ) या अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देत आहे.

User Category :- C